

माननीय न्यायालय को भी विहित: श्रवणाधिकारिता हासिल नहीं है। इसी प्रकार अधीनस्थों अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत अधीन विधि की व्यवस्था के अनुसार चलने योग्य ही नहीं है और अधीन पेश की है जिस खरिज करने से निम्न अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थों ने विधि की व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए वर्तमान एकट्ट एसडीओ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.1971 के समय अस्तित्व में ही नहीं था। एकट्ट 1973 के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाया है जो कि विहित: पोषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त द्वारा सन् 1971 में पारित बडद सिंह के विकसित सिस्मिग कायदाही के निर्णय को सिस्मिग अधीन कोषण में दर्ज किया गया अभिवर्तनों से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी माण्डलगाठ निर्णय को धारा 23 सिस्मिग एकट्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाया है। अधीनस्थों द्वारा 17.09.1971 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बडद सिंह के विकसित सिस्मिग कायदाही के के प्रकरण संख्या 10/71 सरकार बनाम बडद सिंह राजपूत में सिस्मिग कायदाही दिनांक दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थों द्वारा एस.डी.ओ. माण्डलगाठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटिल धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रकरण में प्रार्थी निन्दल सौ लि. तिरंगा पहाड़ी के पास पुर, श्रीलवाडा दिनांक 09.09.2021



### आदेश

- उपस्थित -
1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता - प्रार्थी निन्दल सौ लि., पुर, श्रीलवाडा की ओर से
  2. श्री पुष्पराज चौधरी अधिवक्ता - विपक्षी / अधीनस्थों अधिकार जाट की ओर से

#### धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

अधीन अन्तर्गत धारा 23 सिस्मिग एकट्ट में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटिल

- विपक्षीय

- अधीनस्थ

- |                                                                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. श्रीमती हरकृ. बेवा अधिकार उर्फ (उत्कार) जाट निवासी बन्ध्याखेडा मजरा देवली तहसील कोटली मजरा देवली तहसील कोटली | 1. नन्द सिंह पिता देवी सिंह राजपूत का.सं. -                 |
| 2. पाना पुत्री अधिकार उर्फ (उत्कार) जाट निवासी बन्ध्याखेडा मजरा देवली तहसील कोटली                               | 1/2 हेमसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत                           |
| 3. श्रील पुत्र अधिकार उर्फ (उत्कार) जाट निवासी बन्ध्याखेडा मजरा देवली तहसील कोटली                               | 1/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत                   |
| 4. रामलाल पुत्र अधिकार उर्फ (उत्कार) जाट निवासी बन्ध्याखेडा मजरा देवली तहसील कोटली                              | 1/4 समतल सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत                        |
|                                                                                                                 | निवासीयान पीथास तहसील कोटली जिना श्रीलवाडा                  |
|                                                                                                                 | 2. राजस्थान राज्य जयि तहसीलदार कोटली                        |
|                                                                                                                 | 3. निन्दल सौ लि.सि. तिरंगा पहाड़ी क पास, पुर जिना श्रीलवाडा |

प्रकरण संख्या - 17/2020 अधीन प्रकरण में प्रार्थना पत्र (आदेश 7 नियम 11)


पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश माधल (आर0ए0ए0ए0)

न्यायालय अतिरिक्त जिना कलेक्टर, श्रीलवाडा





श्री. राजेश गोयल  
 श्री. विना कश्यप  
 श्री. राजेश गोयल



खुले न्यायालय में सौनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर अधील खारिज की जाती है।  
 सपटिल धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। अधीनार्थी द्वारा प्रस्तुत पहाड़ी के पास पुर, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सफलता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 03/प्रार्थी निन्दल सां लि. निरं. Summary Proceeding है, जिसके माध्यम से एक व अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा नही बनता है। वैसे भी नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती है एवं स्टूटेशन अधील (Transferee) है, एवं अन्तरिणी (Transferee) को धारा 23 के अन्तर्गत कोई अधीनार्थी अधिकार मानकर अधील पेश की है तथा प्रकरण की विषय वस्तु में उक्त आरजी अन्तरिणी यह अधील धारा 23 में कवर नहीं होती है। अधीनार्थी ने स्वयं को उक्त आरजी का केष इस न्यायालय में अधील पेश की है, जबकि धारा 23 में जो तथ्य अंकित है, उसके अनुसार सिविल कायदावादी के निर्णय को धारा 23 सिविल एक्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रथमतः बनाकर उक्तानुसार अधीनार्थी ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा बट्टे सिद्ध के विरुद्ध चली आर्वाहित की जा रही।

तथा ऐसी शर्तों के अख्येयान रहते हुए जो निहित की जाए, प्रथमिकता के आधार पर एवं अनुस्यूचित जनजाति के सदस्यों में उष प्राधिकारी द्वारा, ऐसे तरीके से, ऐसी सीमा तक है, आरक्षित रखने के बाद उष गांव के भूमिहीन श्रमिकों में विशेष कर अनुस्यूचित जाति जनसंख्या के कल्याण एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रयत्नों के लिए निर्देशित की गयी सरकार में निहित आदिशेष भूमि, आदिशेष भूमि के ऐसे क्षेत्र को जो केष की उन्नति केष धारा 21 भूमिहीन व्यक्तियों को निहित भूमि का आवंटन :- धारा 16 के अधीन राज्य भूमि स्थित है।

माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उष तहसीलदार को भेजना जिसमें निहित की गयी जो राज्य सरकार में निहित हुयी है, उसके वर्गीकरण एवं सुधार की शर्तों के बारे में एक ब्यौरे की सत्यता या अन्यथा के बारे में तथ्य विशेष रूप से उष भूमि के क्षेत्र के बारे में प्राधिकृत अधिकारी - (क) उष विवरण पत्र की एक प्रति उष विवरण पत्र में दिये गये (3) उष धारा 2 के अधीन अर्वाहित की राशि के लिए क्लेम के विवरण पत्र की प्राप्ति पर, विवरण पत्र की तामील की गयी है, भूगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।  
 उषमें निहित समस्त भूमि के लिए अर्वाहित की राशि का उष व्यक्त को, जिसे अन्तिस धारा 19 अर्वाहित के लिए राशि का अर्वाधारा :- (1) राज्य सरकार धारा 16 के अधीन